न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
41/2025	16.7.2025	29.9.2025

1. रूमाली पत्नि रामस्वरूप , मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. नाहरसिंह पुत्र रामस्वरूप , मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
3. लेखराज पुत्र रामस्वरूप , मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः— अनिल कुमार गुप्ता, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0नं0 1183 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 1417 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1517 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 467 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 62 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 621 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 63 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 640/1762 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 660/1768 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 734 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 998 रकबा 0.19 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.34 है0 खाता नं0 192 ग्राम डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 13/150 है। प्रार्थिया संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2, 3 के पिता का नाम रामस्वरूप मीना पुत्र प्रहलाद मीना है जो प्रार्थीगण के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में दर्ज है एवं बोलता नाम मलकू है। उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता की मृत्यु दिनांक 11.7.1996 को हो जाने के बाद नामान्तरकरण में मलकू नाम दर्ज कर दिया है जो दुरूस्त होने योग्य है। मलकू व रामस्वरूप मीना अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इस गलती के कारण प्रार्थीगण सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थिया संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता का नाम मलकू के स्थान पर रामस्वरूप मीना संशोधित किए जाने के आदेश फरमावें तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

वालिग हो चुके हैं इसलिए राजस्व रिकार्ड में इनके नाम के आगे से नाबालिग शब्द हटा कर नाहरसिंह पुत्र रामस्वरूप मीना व लेखराज पुत्र रामस्वरूप संशोधित किए जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 192 ग्राम डिवस्या, छायाप्रति परिवार राशनकार्ड, छायाप्रति आधार कार्ड रूमाली, छायाप्रति जन आधार कार्ड रूमाली, छायाप्रति आधार कार्ड नाहर सिंह मीना, लेखराज मीना, छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामस्वरूप मीना, छायाप्रति सैकेण्ड्री स्कूल प्रमाण पत्र रामस्वरूप मीना, छायाप्रति जाति प्रमाण पत्र रामस्वरूप मीना, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र लेखराज मीना, रूमाली प्रस्तुत किए हैं। इनके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने रामनिवास मीना, कमलेश मीना, लखनलाल मीना पुत्रगण प्रहलाद मीना निवासी डिवस्या के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 8.9.2025 के साथ पटवारी हलका खानपुरबडौदा की मौका रिपोर्ट दिनांक 4.8.2025 की छायाप्रति भिजवाई है। अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अंकित किया है कि इस सम्बन्ध में पटवारी हलका खानपुरबडौदा से जांच करवा कर रिपोर्ट ली गई। पटवारी हलका से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्रामवासियों ने बताया कि रामस्वरूप पुत्र प्रहलाद मीना का उपनाम मलकू मीना भी था। प्रहलाद मीना की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण भरते समय रामस्वरूप मीना का नाम मलकू मीना दर्ज कर दिया गया है जबकि कागजात में रामस्वरूप मीना दर्ज है। नाहरसिंह व लेखराज के दोनों के आधार कार्ड एवं अंकतालिका देखने पर इनकी उम्र भी 18 वर्ष से अधिक पाई गई है। इस प्रकार सही नाम रामस्वरूप पुत्र प्रहलाद मीना किया जाना उचित है एवं नाहरसिंह एवं लेखराज के जमाबंदी में लगा हुआ नाबालिग हटाकर बालिग किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:40:11 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता का नाम

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मलकू नहीं होकर सही नाम रामस्वरूप मीना है तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 वालिग हो चुके हैं। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम डिवस्या की जमाबंदी सं0 2070 से 2073 के खाता संख्या 192 में दर्ज प्रविष्टि "नाबालिग नाहरसिंह पुत्र मलकू संरक्षक माता खुद रूमाली हिस्सा–13/150 जाति मीना सा0 देह खातेदार" के स्थान पर प्रविष्ट "नाहर सिंह मीना पुत्र रामस्वरूप मीना हिस्सा–13/150 जाति मीना सा0 देह खातेदार", "रूमाली पत्नि स्व0 मलकू हिस्सा–13/150 जाति मीना सा0 देह खातेदार" के स्थान पर प्रविष्टि "रूमाली पत्नि स्व0 रामस्वरूप मीना हिस्सा 13/150 जाति मीना सा0देह खातेदार" एवं "नाबालिग लेखराज पुत्र मलकू संरक्षक माता खुद रूमाली हिस्सा–13/150 जाति मीना सा0 देह खातेदार" के स्थान पर " लेखराज मीना पुत्र रामस्वरूप मीना हिस्सा–13/150 जाति मीना सा0 देह खातेदार"दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। जमावंदी में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:11 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)